



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244472
CG-DL-E-18032023-244472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1218]
No. 1218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1267(अ).—पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम और गैस का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, एतद्वारा ओडिशा में धामरा पत्तन को दिनांक 16.03.2023 से 15.03.2026 तक तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए समुद्र द्वारा भारत में पेट्रोलियम और गैस कार्गो के लिए एक लैंडिंग प्वाइंट के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 0-25021/1/2022-एसएम]

भूषण कुमार, संयुक्त सचिव (एसएम)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1267(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum & gas in public interest, hereby notifies Dhamra

Port in Odisha as a landing point for petroleum and Gas cargo into India by Sea for a period of three years from 16.03.2023 to 15.03.2026.

[F. No. 0-25021/1/2022-SM]

BHUSHAN KUMAR, Jt. Secy.(SM)